E-Receipt



## GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA - BILASPUR CHATTISGARH



	E-Receipt For Allahabad Bank Collect Payment Date: 2020-08-27T11:27		
Reference Number	056082708201171202		
Receipt Number	QF0827112754360857		
Category Name	Online Fee Form		
Name	SOUVIK MUKHERJEE		
Father_Name	KANAILAL MUKHERJEE		
Fee Description	PRE PHD ADMISSION IN SLT INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES		
Mobile Number-Whatsapp No	6297450659		
Email_ID	MUKHERJEES388@GMAIL.COM		
Amount to Pay	13950		
Payment Mode	Debit Card		
Total Amount of Fees	Rs. 13950.0		
Payment Status	SUCCESS		

## **Terms & Condition**

• An E-Receipt is an electronic document with a unique confirmation number given to remitter in place of a paper receipt

• For details, rules and terms & conditions of E-Receipt, please visit <u>www.sabpaisa.in.</u>

• Payers are advised to carry transaction e-reciept for future reference

• When you register with above college/bank/, we or any of our partners/affiliate/staff may contact you from time to time to provide the details/information of such payments/services that we believe may benefit you.

© COPYRIGHT 2016. Powered by SRS Live Technologies Pvt Ltd.



गुरू घासीदासविश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, कमांक 25 के अंतर्गतस्थापितकेन्द्रीय विश्वविद्यालय)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central University Act., 2009 NO.25 of 2009) Web Site – www ggu.ac.in, ph. No. 07752-260021, fax No. 07752-260148,154

क. 2.36/अका. / शोध / फार्मेसी / 2021

बिलासपुर, दिनॉक 26/10/21

प्रति,

1

Souvik Mukherjee (Research Scholar) Department of Pharmacy Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

(पंजीकृतडाक द्वारा)

विषयः– यू.जी.सी. (एम.फिल. / पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रकिया) विनियम, 2016 के प्रावधानानुसार पीएच0डी0 उपाधि के लिए पंजीयन।

विभागीय शोध समिति की बैठक दिनॉक 30. 09. 2021 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य हेतु (विषय) फार्मेसी अध्ययनशाला–प्राकृतिक संसाधन विद्यापीठ में आपका पंजीयन सक्षम संस्तुति उपरान्त निम्नानुसार किया जाता है:--

शोध का विषय शीर्षक	शोध निर्देशक Dr.Vivekananda Mandal, Assistant Professor, Department of Pharmacy, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)		
STUDIES ON NEWER TECHNOLOGICAL IN FOR VALORIZATION OF ESSENTIAL OIL E FROM AROMATIC HERBS			
शोध केन्द्र	पंजीयनकमॉक	पंजीयनतिथि	नामांकनकमॉक
Department of Pharmacy, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya. Bilaspur (C.G.)	195264502	30. 09. 2021	GGV/19/6407

आप यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रकिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश एवं विनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार पीएच.डी.शोध कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय शोध विनियम 18 के नियमन R-11 केअनुसार शोध पंजीयन तिथि से प्रति छःमाही प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति का लेखा शोध निर्देशक/ RAC द्वारा अनुशंसित एवं DRC/Dean के संस्तुति /अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि निरंतर दो सेमेस्टर प्रतिवेदन असंतोषजनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो शोध—पंजीयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। शोध ग्रन्थ प्रस्तुत करने की तिथि से प्रस्तुत करना अनिवाय है ।

कमशः

2021/10/26 22:19

- 2 यह पंजीयन छःवर्ष तक जीवित रहेगा तथा पंजीयन तिथि से छःवर्ष के भीतर शोधार्थी द्वारा शोध ग्रंथ जमा नहीं करने पर पंजीयन छःवर्ष उपरांत स्वतः निरस्त हो जावेगा । शोध पंजीयन अवधि में वृद्धि विश्वविद्यालय शोध विनियम 2018 के नियमन R-10 अधीन रहेगा ।
- शोध ग्रंथ प्रस्तुतीकरण/प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 5000/-(परिवर्तनीय) विश्वविद्यालय कोष में चालान के द्वारा देय होगा।
- 4. शोध विनियम के प्रावधानानुसार शोधार्थी को निर्धारित समयावधि में शोध ग्रंथ प्रस्तुत करना होगा । छः माही प्रगति प्रतिवेदन एवं शोध ग्रंथ जमा करना शोधार्थी की ब्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में स्मरण नहीं कराया जायेगा ।
- 5. शोधार्थी का पंजीयन एवं शोध कार्य विश्वविद्यालय के शोध विनियम–2018 के अधीन होगा । अतः शोधार्थी को यह सलाह दी जाती है कि विश्वविद्यालय शोध विनियम–2018 के प्रावधानों का भली–भांति अध्ययन कर लेवें ।

रि सहा. कुलसचिव(अका.) बिलासपुर, दिनॉक <u>26/10/</u>201

आदेशानुसार,

कमांक 2.37/अका0/शोध/फार्मेसी/2021

प्रतिलिपिः–

1 शोध निर्देशक—डॉ0, विवेकानन्द मण्डल, सहायक प्राध्यापक, फार्मेसी विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ0ग0 को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि वे ऊपर लिखित शोध अध्यादेश / विनियम के प्रावधानानुसार संलग्न प्रारूप में शोध छात्र का प्रत्येक सेमेस्टर छःमाही प्रगति प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें । विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में अलग से पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।

विभागाध्यक्ष, फार्मेसी विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ0 ग0 की ओर सूचनार्थ।
सहायक कुलसचिव, गोपनीय शाखा गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
ग्रंथपाल, केन्द्रीय ग्रंथालय, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
समन्वयक (आईटी सेल) की ओर तेव पटन पर अपन्येन उन्होंने के कि

समन्वयक (आईटी सेल) की ओर वेब पटल पर अपलोड करनेहेतु प्रेषित।
संबंधित नस्ती प्रति।

सहा. कुलेसचिव(अका.) गुरू घासीदासविश्वविद्यालय, बिलासपूर(छ.ग.)